दैनिक जागरण

जीवन ताउम्र चलने वाली पाठशाला के समान है

कलह का रास्ता

इस पर हैरानी नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या फैसले को नामंजूर करते हुए उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया। इसके आसार तभी उभर आए थे जब अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसले आने के बाद से ही कुछ मुस्लिम नेता अपने पुराने रवैये का परित्याग करते दिखने लगे थे। जो मुस्लिम नेता पहले यह कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा वह उन्हें स्वीकार होगा वे बाद में उसे अस्वीकार करने के लिए तरह-तरह के बहाने गढ़ने लगे। किसी को फैसला आस्था के आधार पर होते हुए दिखा तो किसी ने उसमें विरोधाभास खोजना शुरू कर दिया। शायद यह माहौल इसीलिए बनाया गया ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अयोध्या फैसला अस्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार किया जा सके। निःसंदेह किसी भी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर किया जाना एक अधिकार है। यदि अयोध्या मामले के पक्षकार इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक तो प्रमुख पक्षकार इकबाल अंसारी फैसले को चुनौती देने की जरूरत नहीं समझ रहे और दूसरे, जो लोग उनसे अलग रास्ता पकड़ रहे हैं वे यह भली-भांति जान रहे हैं कि अब कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि अयोध्या मामले में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सर्वसम्मति से सुनाया। आखिर यह जानते हुए भी अयोध्या फैसले को चुनौती देने का क्या मतलब कि इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है? यह केवल समय की बर्बादी ही नहीं, बल्कि कलह के रास्ते पर जानबूझकर चलने की कोशिश भी है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर हठधर्मी दिखाने पर तुल गया है, इसका पता उसके नेताओं के इस बयान से चलता है कि शरई कानून के मुताबिक मस्जिद की जमीन किसी और को नहीं दी जा सकती। वे अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने से भी इन्कार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अयोध्या में तो पहले से ही 27 मस्जिदें हैं। क्या इसका यह मतलब नहीं कि वे बाबर के नाम पर बनाई गई मस्जिद को हासिल करने की ललक दिखा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हिंदू ढांचे पर बनी बाबरी मस्जिद इन 27 मस्जिदों से अलग और विशिष्ट कैसे थी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जिद पूरी करने या फिर खुद को पीड़ित दिखाने के लिए अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करने को स्वतंत्र है, लेकिन वह याद रखे तो बेहतर कि भारतीय मुस्लिम समाज को आक्रमणकारी बाबर से जोड़ना उसका अपमान करना है।

टैब पर सवाल

झारखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को दिए गए टैब विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक बंद रहेंगे। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शिक्षकों को फिलहाल टैब को नहीं खोलने तथा बायोमिट्रिक उपस्थिति इससे नहीं बनाने का आदेश दिया गया है। शिक्षक लगभग दो माह अपने मोबाइल से बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? दरअसल राज्य सरकार द्वारा हजारों शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए टैब के खुलने पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो प्रसारित होता है, जिसमें मुख्यमंत्री डिजिटल इंडिया को लेकर एक संदेश देते नजर आते हैं। इस तरह का वीडियो प्रसारित होना आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। टैब में मुख्यमंत्री का संदेश आना कोई गलत नहीं है, लेकिन यह सवाल लाजिमी है कि इस वीडियो को कुछ समय के लिए क्यों नहीं हटाया जा सका? यदि समय पर कुछ दिनों के लिए वीडियो हटा लिए जाते तो टैब के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश देना नहीं पड़ता। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस समय भी लगभग दो माह टैब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। उस समय शिक्षकों ने मैनुअल हाजिरी बनाई थी।

लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया, अब फिर दो माह तक शिक्षकों के टैब इस्तेमाल करने पर लगी रोक

टैब के संचालन के लिए लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों को तो उसी समय सचेत होकर समय पर यह काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होना था। इधर शिक्षक निजी मोबाइल से बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाने का विरोध कर रहे हैं। वे इसे निजता का उल्लंघन बताते हैं। हालांकि शिक्षकों को मोबाइल रिचार्ज के लिए प्रतिमाह 300 रुपये विद्यालय विकास अनुदान से देने पर सहमति दी गई है। प्रति विद्यालय किसी एक शिक्षक को यह राशि दी जाएगी, जिसके मोबाइल से उस विद्यालय के सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति बनाएंगे। इसका भी विरोध हो रहा है। जो भी हो, अब जरूरत इस बात की है कि शिक्षक दो माह तक मोबाइल से ही बायोमिट्रिक उपस्थिति बनाएं। पदाधिकारियों को भी भविष्य में इस तरह की लापरवाही से बचने का प्रयास करना चाहिए। उनका यह व्यवहार लचर कार्यप्रणाली का एक बड़ा उदाहरण है।

संवैधानिक मर्यादा के साथ होगा मंदिर निर्माण

रविशंकर प्रसाद

अयोध्या विवाद लंबे अर्से से कायम था। इसमें आस्था और भावनाओं का टकराव था। इसका न्यायिक मर्यादा के साथ हल सभी के लिए हर्ष एवं संतोष का विषय है

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि स्थल रामलला विराजमान को सौंपने का फैसला किया है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मंदिर निर्माण के लिए तीन महीनों के भीतर एक न्यास बनाए। इसी न्यास को भारत सरकार वह 2.77 एकड़ जमीन भी सौंपेगी जिस पर फिलहाल रिसीवर के रूप में उसका नियंत्रण है। न्यास ही मंदिर निर्माण की पूरी व्यवस्था करेगा। यदि इसके लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता हुई तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसे उस भूमि से दिया जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने भू अर्जन के जरिये अपने नियंत्रण में लिया है। फैसले में मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। अयोध्या की सीमा में यह जमीन भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

गरिमा और नैतिक आचरण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन के प्रमुख तत्व हैं। राम कथा हजारों वर्षों से आम भारतीयों की प्रेरणा है। राम भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक विरासत के प्रमुख अंग हैं। इस लिहाज से अदालत का सर्वानुमति से आया फैसला देश की संवैधानिक मर्यादा का अप्रतिम उदाहरण है। राम मंदिर भारत की न्यायिक और संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप बनने जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष मुझे भी रामलला विराजमान और हिंदू पक्ष की पैरवी का अवसर मिला।

सुप्रीम कोर्ट को मुख्य रूप से चार मामलों में फैसला सुनाना था। पहला मामला रामलला के भक्त गोपाल विशारद से जुड़ा था। दूसरा निर्मोही अखाड़े का। तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड का। और चौथा रामलला विराजमान का जिसमें मांग थी कि विवादित जमीन का मालिकाना हक घोषित किया जाए और उनके भक्तों को पूजा का अधिकार मिले। इसमें अदालत ने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चली। 2003 में अदालत ने निर्देश दिया कि विवादित स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा खोदाई की जाएगी। इससे हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्ष आशंकित थे कि इसका क्या नतीजा निकले। बहरहाल आदेश में अदालत ने यह भी तय किया कि उत्खनन में दो तिहाई मजदूर हिंदू और एक तिहाई मजदूर मुसलमान होंगे। उत्खनन के बाद एएसआइ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विवादित ढांचे के नीचे दसवीं शताब्दी से निर्माण की प्रक्रिया के संकेत मिले हैं। इसमें कमल का चिन्ह, गोल आकार की मूर्ति जिसमें प्रणाला भी था, जैसे कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले जो उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा के अभिन्न अंग माने जाते हैं। इसके मुताबिक विवादित बाबरी मस्जिद पुराने अवशेष की दीवारों पर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में इसका संज्ञान लिया। उसने माना कि जहां से पुरातात्विक अवशेष मिले वहीं विवादित मस्जिद के आधारभूत स्तंभ हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि खोदाई में मिली वस्तुएं हिंदू धार्मिक भावनाओं की प्रतीक हैं।

अब दूसरे पहलू पर दृष्टि डालते हैं। 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने से जुड़े मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इसमें साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यदि ढांचा नहीं गिरता तो क्या अदालत खोदाई के आदेश देती। तब क्या जमीन के भीतर दफन भारत की सैकड़ों वर्ष पुरानी शाश्वत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा सामने आ पाती।

इस मामले में हजारों पन्नों के सुबूत उपलब्ध हैं। दस्तावेजी साक्ष्य भी थे। दोनों पक्षों की ओर से गवाहियां भी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया। इसमें कई विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत का उल्लेख बहुत आवश्यक है। जोसफ ट्राइफेनथेलर एक जेसुएट मिशनरी थे। उन्होंने 1740 ई. में भारत की यात्रा की। वह अयोध्या भी गए। इस पड़ाव को उन्होंने अपने वृतांत में 'अजुध्या' कहा। उनके अनुसार अयोध्या पवित्र नगरी है जहां एक वेदी है। वहां बेशचन (विष्णु) राम के रूप में पैदा हुआ थे। एएसआइ के महानिदेशक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 1862 की अपनी रिपोर्ट में अजुध्या को राम का जन्म स्थान बताया। फैजाबाद के आयुक्त और सेटलमेंट अधिकारी पी कनिंघम ने 1870 की रिपोर्ट में यह कहा, 'अयोध्या का हिंदुओं के लिए वही महत्व है जो महत्व मुसलमानों के लिए मक्का का है।' इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि राम जन्मस्थान पर प्रार्थना करते हुए उनके भक्तों ने सैकड़ों वर्षों तक विशेष धार्मिक संतोष प्राप्त किया। अदालत के अनुसार उक्त स्थान पर एक इस्लामिक ढांचे का निर्माण भी भक्तों के इस विश्वास को नहीं हिला पाया कि यह भगवान राम का जन्मस्थान नहीं है।

अदालत के अनुसार मुस्लिम पक्ष द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि 1857 के पहले विवादित भूमि पर उनका एकाधिकार या नियंत्रण था। ऐसा भी कोई सुबूत पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद उन्होंने वहां सवा तीन सौ साल तक नमाज अदा की। अदालत ने यह भी पाया कि मुस्लिम गवाहों ने भी स्वीकार किया कि ढांचे के ऊपर वराह, जय विजय और गरुड़ आदि धार्मिक चिन्ह थे। उसके अनुसार ये आस्था और विश्वास का संकेत नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से होने वाली पूजा को भी स्पष्ट करता है।

यह विवाद लंबे अर्से से कायम था। इसमें आस्था और भावनाओं का टकराव था। कई बार हिंसा भी हुई। मगर सत्य में इतनी शक्ति होती है कि वह उजागर होता ही है, भले ही इसमें कुछ समय लगे। यह सच न्यायिक मर्यादा के जरिये सामने आया। यह हर्ष एवं संतोष का विषय है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष अभिनंदन भी आवश्यक है। उनकी अपील ने देश में शांति, सद्भाव और भाईचारा बनाने में बहुत मदद की। यह एक नए आशावान, ऊर्जावान और भाईचारे की भावना से प्रेरित भारत के उदय का समय है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भारत की समावेशी और आत्मसात करने वाली परंपरा का उल्लेख किया है जो धर्म पूजा और उपासना पद्धति को भी संस्कृति, समाज के युगानुकूल ढलने की प्रेरणा देती है। इस्लाम सहित कोई भी धर्म या पूजा पद्धति इसका अपवाद नहीं है, बल्कि यह भारतीय परंपराओं की विशेषता भी है जो किसी धर्म को कमजोर नहीं करती। संभवतः यह कबीर, रहीम और रसखान की विरासत की विजय है। न यह किसी की हार है और न किसी की जीत है, बल्कि यह भारत की विजय है।

(लेखक केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला और हिंदू पक्ष के वकील भी रह चुके हैं)

response@jagran.com

संस्कृत की महत्ता समझने का समय

गिरीश्वर मिश्र

भौतिकता पर केंद्रित पश्चिमी सभ्यता मनुष्य के अस्तित्व को ही प्रश्नांकित कर रही है। अब संस्कृत ही सही विकल्प है

बीते दिनों नई दिल्ली में विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कई देशों ने शिरकत की। ऐसे में संस्कृत की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार की दरकार लगती है। आज वैश्वीकरण के प्रभाव में जिस वेग से पश्चिमी जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्य चारों ओर छाते जा रहे हैं उसकी विसंगतियों को लेकर अनेक देशों के विचारक विकल्पों की तलाश में हैं। इस दौर में भारतीय सभ्यता का विशेष महत्व आंका जा रहा है जो मनुष्य की जगह समग्र सृष्टि को ध्यान में रखकर उसके विभिन्न तत्वों की परस्पर-निर्भरता पर बल देती है। इस प्रकार के चिंतन में संस्कृत भाषा और साहित्य के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की प्रमुख भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें इस तथ्य को भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय मानस की मुक्ति की संभावना और रचनात्मकता का दमन किया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय प्रतिभा ने अपनी रंगत और चरित्र ही खो दिया। पश्चिम की नकल के चलते हमारी अमूल्य विरासत आज विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए भारतीय विचारों और ज्ञान-परंपराओं का विनष्ट होना पश्चिमी दुनिया समेत संपूर्ण विश्व की भी अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए उनका संरक्षण आवश्यक है जिसमें संस्कृत एक अहम कड़ी होगी।

संस्कृत की परंपराएं मात्र मनुष्य ही नहीं, बल्कि जीवन और प्राणिमात्र के लिए आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न देश काल में बहुलता के साथ पनपा यह ज्ञान जीवन-शैली, कलाओं, शिलालेखों, अनुष्ठानों, काव्य और आस्थाओं आदि रूपों में अभिव्यक्त होता रहा है। इनके बारे में रोचक तथ्य यह है कि इनमें किसी एक के वर्चस्व की जगह अनेकता या बहुलता का महत्व प्रकट होता है। इनका एक प्रमुख संदेश यह भी है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंश है न कि उसका नियंता। आज जीवों का विलोप, जलवायु-परिवर्तन, सामूहिक विद्वेष, नरसंहार और प्रकृति का दोहन संस्कृत की मैत्री, सह-अस्तित्व और सहकार वाली जीवन शैली के विरुद्ध है। वाचिक परंपरा जो समुदायों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही थी, वह अब वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में तिरोहित होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, पुरखों के प्रति ममत्व, अगली पीढ़ी के प्रति दायित्व और आध्यात्मिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। आज जैविक और सांस्कृतिक रूपों की विविधता नष्ट हो रही है। प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता और टिकाऊ अर्थव्यवस्था आज भौतिकता और उपयोगितावाद की भेंट चढ़ रही हैं। प्रकृति को पवित्र न मानकर उसका अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। विकसित देशों में, जहां का मानव विकास सूचकांक ऊंचा है वहां उत्पादन और उपभोग का स्तर भी स्वाभाविक रूप से उतना ही ऊंचा है। वहां छोटी सी जनसंख्या द्वारा अधिकांश संसाधनों का उपयोग किया जाता है। दुनिया पर एकछत्र अधिकार जमाने की अवधारणा के चलते धरती को खंगालना, मानवता का मानकीकरण, हिंसा, युद्ध, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता मूलतः निरपेक्ष पश्चिमी विचारों की देन हैं।

वैदिक काल से ही यह स्वीकृत है कि इस धरती पर भिन्न-भिन्न भाषाओं और धर्मों के लोग रहते हैं। एक सत्य का अनेक ढंग से वर्णन किया जाता है। साथ ही इसमें मन, हृदय और कर्म की एकता पर भी बल दिया गया, ताकि सबके बीच सहृदयता बनी रहे। जीवों की परस्पर-निर्भरता तथा समस्त ब्रह्मांड की संबद्धता का भाव निरंतर उपस्थित है। इस परंपरा में अंतः सांस्कृतिक संवाद का भी अवसर बना, जिसका आधार मूलतः नैतिक आचरण था। करुणा, मध्यम मार्ग, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, भक्ति, धर्म, अहिंसा, दान, परोपकार, आत्मसंयम तथा संस्कार जैसी अवधारणाओं के साथ समाज के संचालन की व्यवस्था की गई थी। संस्कृति द्वारा प्रकृति के परिष्कार द्वारा मनुष्य की सहभागिता द्वारा संतुलन की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि में बहुसांस्कृतिक समाज के लिए एक आधार-दृष्टि मिलती है जिसमें पारस्परिक भरण-पोषण तथा साझेदारी, आदर की प्रमुखता है। ऐसी समावेशी और मानवीय दृष्टि के साथ संस्कृत की ज्ञान परंपरा लोभ और हिंसा का विकल्प देती है। इसके अंतर्गत टिकाऊ विकास के लिए जरूरी व्यापक पारिस्थितिक नजरिये के साथ प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया गया है। नदी, नगरी और पर्वतों को पवित्र तीर्थ की महत्ता देकर उनका संरक्षण और परम तत्व की उपस्थिति से अनुप्राणित स्वीकार कर शरीर, विश्व और विश्वात्मा का संबंध स्थापित किया गया। वेद, पुराण, काव्य, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, योग, शिल्प, वृक्षायुर्वेद, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, दर्शन आदि के सुदृढ़ अध्ययन की परिपाटी स्थापित हुई। ये सभी सार्वभौम मानवीय सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। इनमें लोक-कल्याण के लिए मानक कर्तव्य के भाव को प्रमुखता दी गई। इन सबमें शास्त्र और प्रयोग को परस्पर संबद्ध रखते हुए वस्तुवादी और उपयोगितावाद से बचने का यत्न किया। इस परंपरा का विस्तार कभी सुदूर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, पूर्व तथा मध्य एशिया तक ब्राह्मण गुरुओं, सम्राट अशोक के दूतों, बौद्ध और जैन भिक्षुओं द्वारा किया गया।

आज पश्चिमी सभ्यता में गहरी त्रासदी देखी जा सकती है जो मनुष्य के अस्तित्व को ही प्रश्नांकित कर रही है। आधुनिकता और विकास के तर्क की सीमाएं दिख रही हैं। विकासवाद वाली आधुनिकता को विकास का चरम मानना भ्रामक और प्रगति भी एक मिथक लगने लगा है। सामाजिक विकासवाद को मानें तो भविष्य में विश्व नष्ट हो जाएगा। सुख की उपयोगितावादी विचारधारा नाकाफी है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक पूरकता का रिश्ता ही जीवन को संभव बनाता है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन होना चाहिए। तभी लोक-संग्रह या जन-कल्याण का लक्ष्य पाया जा सकेगा। ऐसे में विस्मृत होती संस्कृत ज्ञान की समृद्ध परंपरा को रचनात्मकता और सुधार के साथ पुनर्जीवित और स्थापित करना एक मानवीय आवश्यकता है। इसके लिए खुले मन से संस्कृत ज्ञान परंपरा के संरक्षण, अनुकूलन और अनुप्रयोग को बढ़ावा देना होगा।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सफलता की चाह

आजकल हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन सफलता उससे भी तेज गति से पलायन कर रही है। कुछ लोग शीघ्र से शीघ्र सफलता अर्जित करने के लिए शॉर्टकट की राह भी चुनने में देर नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप उनके हाथों नाकामयाबी ही आ रही है। आखिर सफलता का रहस्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना और सफलता को भलीभांति समझे बिना उसे पाने की हर कोशिश व्यर्थ ही है। कुछ लोग सफलता का सही अर्थ समझे बिना ही व्यर्थ की होड़ में लगे रहते हैं। वे समझते हैं कि सफलता कोई पड़ाव है। असल में सफलता कोई पड़ाव न होकर निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

सफलता को पाने के लिए अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। मेहनत और सफलता का रिश्ता चोली दामन का कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सफलता का सुनहरा सपना देखने वालों को अपनी योग्यता पर भरोसा होना चाहिए। जब योग्यता आ जाती है तो सफलता की राह बेहद ही आसान हो जाती है। सफलता जैसे शब्द के हर व्यक्ति की नजर में अलग-अलग मायने हो सकते हैं। एक छात्र के लिए नौकरी और अधिक धन की प्राप्ति सफलता का एक पहलू हो सकता है। भले ही मायने ढेरों हों पर सभी के लिए सफलता तक पहुंचने का एक ही विकल्प है-धैर्य और परिश्रम, लेकिन आज के युग में सबसे बड़ी कमी है तो धैर्य की। त्वरित परिणाम की चाह में हम अक्सर बेकाबू होकर गलत राह की ओर अग्रसर होकर सफलता के सन्निकट होने के बावजूद दूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी आने लगता है जब हम किंकर्तव्यविमूढ़ की दशा में पहुंच जाते हैं। फिर जिंदगी में तनाव और आक्रोश का अनायास ही प्रवेश होना लगता है।

अतः कहा भी गया है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले, न किसी को मिला है और न मिलेगा। असफलता के बाद भी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

देवेंद्रराज

सिलिकोसिस नीति से जगी उम्मीदें

सुधीर कुमार

सिलिकोसिस के खतरे वाले उद्योगों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर निम्न आय वर्ग से संबंधित होते हैं

गत दिनों राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस बीमारी से जूझ रहे मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए अपने राज्य में सिलिकोसिस नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत रोगियों की पहचान, उनके पुनर्वास तथा रोकथाम के भी प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद सिलिका के कणों के बीच सांस लेने को विवश हजारों मजदूरों ने राहत की सांस ली है। सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को अब 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, जबकि 4 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह नीति जारी करने वाला हरियाणा के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य बन गया है।

सिलिकोसिस मुख्यतः फेफड़ों से जुड़ी एक लाइलाज बीमारी है। यह रोग सिलिका मिश्रित धूल के संपर्क के कारण होता है। सिलिका या सिलिकन डाईऑक्साइड पत्थर, बालू, ईंट, ग्रेनाइट, कांच और सीमेंट के महीन कणों में मौजूद होती है। यह मुख्यतः खनन, क्रशर, निर्माण एवं ढुलाई कार्य, मिट्टी के बर्तन और स्लेट-पेंसिल आदि बनाने वाले उद्योगों में उत्सर्जित होती है। जो मजदूर इन उद्योगों में काम करते हैं, वे कालांतर में इस बीमारी के शिकार बन जाते हैं। दरअसल एक नियमित प्रक्रिया के तहत श्वसन के जरिये सीलिका के कण मजदूरों के फेफड़ों में जमा होते जाते हैं और फेफड़ों की दीवारों पर धीरे-धीरे जम कर एक मोटी परत बना लेते हैं। इससे फेफड़े खराब होने लगते हैं और एक दिन पीड़ित व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता ही छिन जाती है! एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 लाख से अधिक श्रमिकों पर सिलिकोसिस का खतरा है। इसकी भयावहता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी पहचान होने के बाद मरीजों को जो प्रमाणपत्र मिलता है, उसे वे अपना 'डेथ वारंट' या 'डेथ सर्टिफिकेट' बताते हैं।

इस बीमारी का एकमात्र इलाज इससे बचाव ही है। सिलिकोसिस के खतरे वाले उद्योगों में काम करने वाले अधिकांश मजदूर निम्न आय वर्ग से संबंधित होते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते। वहीं कई बार कारखानों के मालिक और ठेकेदार भी मजदूरों की सुरक्षा के प्रति गंभीर नजर नहीं आते हैं। 1995 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस बीमारी के प्रति जनजागृति और बचाव कार्यक्रम शुरू किया था और 2030 तक इस बीमारी को पूरी दुनिया से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य बनाया था। भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मजदूरों के ऊपर सिलिकोसिस का खतरा सर्वाधिक है।

1948 के फैक्ट्री अधिनियम में श्रमिकों के लिए हवादार वातावरण, धूलकण से बचने के उपाय तथा बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का नियम तो बनाया गया है। निर्माण एवं खनन कंपनियों को चाहिए कि वे अपने मजदूरों के लिए मास्क और विशेष सुरक्षित पोशाक तथा नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

सामूहिक नाकामी का सबब

प्रदूषण नियंत्रण पर निराशाजनक रवैया शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने ठीक ही कहा है कि केंद्र और राज्यों को यह समझने की सख्त जरूरत है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनकी ओर से बहुत कुछ किया जाना शेष है। मेरा मानना है कि जलवायु में जीवन-यापन के लिए मुख्य दो अवयव जल और वायु हैं। दुख की बात यह है कि ये जल और वायु, दोनों ही आज जीवन को जीने देने के बजाय शनैः शनैः मारने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति विगत कई वर्षों से नवंबर महीने में दिल्ली में सभी देखते हैं। इसमें जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक संसाधन का कोई दोष नहीं है। शायद पूरा समाज और उसमें रहने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। पराली, पंजाब-हरियाणा के किसान, धुआं, स्मॉग आदि की गूंज कुछ दिन सुनाई पड़ती है और धीरे-धीरे दिसंबर के बाद सन्नाटा हो जाता है। सवाल है कि इस समस्या का निदान कैसे होगा? इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 135 करोड़ जनता अपनी भावी पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी आमदनी में से कुछ उपकर जल और वायु की रक्षा के लिए सरकार के मांगने या लगाने से पहले खुद ही देने का प्रस्ताव कर दे, ताकि सरकार कोई व्यवस्था कर सके या ढांचा खड़ा कर सके। यह भारत की परंपरा में एक नवाचार होगा। यह तो देर-सवेर करना ही होगा। हम यह जितना जल्दी करेंगे उतना ही जीवन बचा पाएंगे। हम सभी धरती पर पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं तो कुछ तो समुचित किराया दें। अब बात बहुत हो चुकी, समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए कारगर काम शुरू होगा तभी प्रदूषण से मुक्ति मिल पाएगी।

प्रो. मान सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

मेलबाक्स

कांग्रेस की विफल नीति

दैनिक जागरण के 14 नवंबर के अंक में संपादकीय, झूठ की राजनीति बेनकाब, में सही लिखा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया तो स्पष्ट है कि यह अभियान सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए चलाया गया। निःसंदेह ऐसा ही हुआ है। असल में कांग्रेस भी येन केन प्राकरेण सत्ता की चौखट तक पहुंचना चाहती थी। इसी वजह से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आम चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जमकर राफेल मुद्दे का दोहन किया, लेकिन वह अपने ही बयानों में फंसते गए। कभी राफेल की कीमत 540 करोड़ बताई तो कहीं 524 करोड़ बता दी और अंत में 700 करोड़ बता दी। कभी कहते मोदी ने तीस हजार करोड़ अंबानी की जेब में डाल दिए। ऐसे बयानों का जनता पर कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस राफेल मुद्दे को बोफोर्स का रंग देना चाहती थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए था कि राफेल सौदे पर कीचड़ उछालने से बोफोर्स के दाग नहीं धुल सकते। उच्चतम न्यायालय ने अब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

याद किए जाएंगे गोगोई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर, 2019 को रिटायर हो गए। उन्होंने कोर्ट में अपने आखिरी दिन के कामकाज को संभालने से पहले अपनी पत्नी के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर एक उच्च आदर्श स्थापित किया है। उन्हें मात्र 13 माह के कार्यकाल में कई एतिहासिक फैसले सुनाने का गौरव प्राप्त हुआ। एक राजनीतिक परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपने काम में कभी इसका असर नहीं आने दिया। ऐसे उच्च आदर्श व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को आज की राजनीति में होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जा सके।

बदरी प्रसाद भागवत, किशनगंज

हर व्यक्ति सहयोग करे

दिल्ली के दम घोंटू प्रदूषण में लोग सांस लेने को विवश हैं। ऑड-इवेन भी प्रदूषण को रोकने में बहुत कारगर नजर नहीं आया। लोगों को चाहिए कि वे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के प्रयास पर ही निर्भर न रहें। खुद भी जो हो सके प्रयास करें। वाहनों का प्रयोग कम से कम करें। खुले में कूड़ा न जलाएं। सरकार तो अपने स्तर पर योजनाएं बनाकर काम करेगी ही। अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य समझकर इसमें सहयोग करे तो इस पर काबू पाने में सहूलियत होगी।

anandchetri621@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।